भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4099

18.08.2025 को उत्तर के लिए

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण

4099. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषादः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली विशेषकर कौशाम्बी, वैशाली, इंदिरापुरम, आनन्द विहार, खिचड़ीपुर और मयूर विहार फेज-III में वायु गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में वायु के संघटन के माह-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता के संबंध में कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने आस-पास के रिहायशी इलाकों में दुर्गंध और संक्रामक/संचारी रोगों को रोकने के लिए अनधिकृत पोल्ट्री फार्म और बूचड़खानों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): इंदिरापुरम (गाजियाबाद) और आनंद विहार (दिल्ली) में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सीएएक्यूएमएस) के माध्यम से वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है और कौशाम्बी की वायु गुणवत्ता के लिए सीएएक्यूएमएस का नजदीकी स्थान वसुंधरा (गाजियाबाद) में है, वैशाली के लिए सीएएक्यूएमएस का नजदीकी स्थान आनंद विहार (दिल्ली) में है, खिचड़ीपुर और मयूर विहार फेज-III के लिए सीएएक्यूएमएस का नजदीकी स्थान पटपड़गंज (दिल्ली) में है।

इन चार स्थानों (इंदिरापुरम, वसुंधरा, आनंद विहार और पटपड़गंज) के एसओ$_2$, एनओ$_2$, पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$ के संबंध में वर्ष 2024 का माह-वार परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा **अनुलग्नक I** में है।

वायु प्रदूषण कई कारकों का सामूहिक परिणाम है, जिसमें एनसीआर में उच्च घनत्व वाले आबादी वाले क्षेत्रों में मानवजनित गतिविधियों का उच्च स्तर शामिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होता है, जैसे वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल, सड़क की धूल, बायोमास जलाना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाना आदि। विभिन्न हितधारकों के माध्यम से सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष कार्रवाई

की जाती है। इस संबंध में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा किए गए विभिन्न उपाय **अनुलग्नक II** में दिए गए हैं।

(ग): पोल्ट्री फार्मों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए, सीपीसीबी ने अगस्त, 2021 में "पोल्ट्री फार्मों के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश" जारी किए, जिन्हें जनवरी, 2022 में संशोधित किया गया। ये दिशा-निर्देश पोल्ट्री फार्मों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों जैसे दुर्गंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मृत पक्षियों का निपटान, पोल्ट्री कूड़े/खाद आदि और नियंत्रण उपायों पर केन्द्रित हैं। अनुपालन हेतु दिशानिर्देश सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को भेजे गए।

सीपीसीबी ने अक्टूबर, 2017 में "बूचड़खानों पर व्यापक उद्योग दस्तावेज़" जारी किया। दस्तावेज़ में बूचड़खानों में अपशिष्ट जल, वायु प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट और दुर्गंध नियंत्रण के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन से उचित पर्यावरण प्रबंधन सुनिश्चित होगा तथा आसपास के क्षेत्र में पोल्ट्री फार्मों और बूचड़खानों के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होगी।

******

अनुलग्नक-I

वर्ष 2024 के दौरान सल्फरडाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजनडाइ ऑक्साइड, पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$ के संबंध में माह-वार परिवेशी वायु गुणवत्ता (सांद्रता µg/m^3)

राज्य	शहर	सीएएक्यूएमएस स्थान	पैरामीटर	µg/m ^{3} में सांद्रता												
				जनवरी	फ़रवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसम्बर	वार्षिक औसत
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	इंदिरापुरम	सल्फरडाइ ऑक्साइड	12	12	10	13	8	11	15	12	4	15	13	9	11
			नाइट्रोजनडाइ ऑक्साइड	91	61	49	48	47	41	34	26	32	57	64	70	52
			पीएम$_{10}$	319	200	157	215	277	213	99	68	110	230	254	214	197
			पीएम$_{2.5}$	132	66	44	55	70	57	36	28	43	105	137	142	76
		वसुंधरा (कौशाम्बी को भी कवर करते हुए)	सल्फरडाई ऑक्साइड	13	15	18	31	21	12	3	4	10	22	13	16	15
			नाइट्रोजन ऑक्साइड	55	53	47	64	47	32	24	22	22	41	76	67	46
			पीएम$_{10}$	227	144	116	136	159	127	74	67	107	222	291	163	153
			पीएम$_{2.5}$	155	75	50	45	49	28	32	30	46	99	186	102	74

दिल्ली	दिल्ली	**आनंद विहार** (वैशाली को भी कवर करते हुए)	सल्फरडाई ऑक्साइड	15	18	24	27	26	17	15	13	10	20	14	11	17
			नाइट्रोजन ऑक्साइड	83	105	62	79	74	61	25	65	62	87	107	146	81
			$पीएम_{10}$	404	337	225	281	333	289	135	128	234	500	542	359	320
			$पीएम_{2.5}$	253	161	87	88	118	75	51	44	91	156	306	210	142
		पटपड़गंज (खिचड़ीपुर और मयूर को कवर करते हुए) विहार फेज-III भी)	सल्फरडाई ऑक्साइड	8	8	14	7	4	11	7	5	4	6	8	4	7
			नाइट्रोजन ऑक्साइड	47	44	36	41	26	41	27	24	27	48	72	67	42
			$पीएम_{10}$	387	281	189	219	291	229	101	70	114	292	454	319	245
			$पीएम_{2.5}$	236	131	45	57	80	53	40	28	42	120	273	186	108

नोट: सांद्रता सीएएक्यूएमएस डेटा पर आधारित हैं ।

अनुलग्नक-II

वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए सीपीसीबी द्वारा किए गए उपाय:

1. **वायु गुणवत्ता निगरानी और नेटवर्क :**

- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क: देश में 1524 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (558 सतत और 966 मैनुअल) का नेटवर्क है, जो दिल्ली और एनसीआर शहरों सहित देश के 550 शहरों को कवर करता है।
- एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल सीपीसीबी द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें प्रति घंटे पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों के लाइव वायु गुणवत्ता डेटा और लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी विभिन्न सूचनाओं पर नज़र रखी जाती है।
- सीपीसीबी रोजाना रिपोर्ट जारी करता है जिसमें दिल्ली और एनसीआर के शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक, तुलनात्मक वायु गुणवत्ता सूचकांक स्थिति, पीएम सांद्रता के वर्षवार रुझान, दिन के हॉटस्पॉट, पराली जलाने के मामले, पराली जलने से योगदान और मौसम संबंधी पूर्वानुमान शामिल होते हैं। यह रिपोर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (सफर), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध इनपुट के आधार पर तैयार की जाती है और सीपीसीबी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

2. **दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय :**

- सीपीसीबी द्वारा धान की पराली आधारित पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन संयंत्रों की स्थापना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और उत्तरी क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों में धान की पराली को खुले में जलाने के मुद्दे को हल करने में मदद कर सकते हैं।
- 2023 के पराली जलाने के मौसम (10.11.23 से आगे) के दौरान, पंजाब के 22 जिलों और हरियाणा के 11 जिलों में धान की पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई को तेज करने के लिए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम की सहायता के लिए सीपीसीबी के 33 वैज्ञानिकों को उड़न दस्तों के रूप में तैनात किया गया था। उड़न दस्तों ने राज्य सरकार /नोडल अधिकारियों/संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ समन्वय किया और सीएक्यूएम को अपनी दैनिक रिपोर्ट भेजी।
- 01 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2024 की अवधि के लिए 26 टीमों (पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों में) को तैनात किया है ताकि पराली जलाने से संबंधित निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई सघन बनाई जा सके। ये टीमें राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर तैनात संबंधित प्राधिकारियों/अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं और सीएक्यूएम को रिपोर्ट कर रही हैं।

3. **औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण के उपाय :**

- सीपीसीबी द्वारा दिल्ली और एनसीआर में ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदलने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा में 1762 भट्टे, उत्तर प्रदेश में 1024 भट्टे और राजस्थान में 217 भट्टे सहित कुल 4608 ईंट भट्टों में से 3003 भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदल दिया गया है। जिन ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में नहीं बदला गया है, उन्हें संचालन की

अनुमति नहीं है।

- सीपीसीबी ने 800 किलोवाट सकल यांत्रिक शक्ति तक के डीजल विद्युत उत्पादन सेट इंजनों के लिए रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (आरईसीडी) के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की है।
- डीजी सेट उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी दिल्ली-एनसीआर में सरकारी अस्पतालों में डीजी सेटों के पुनरोद्धार/उन्नयन के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराता है और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

4. **दिल्ली-एनसीआर में गहन निगरानी और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन :**

- दिसंबर 2021 से सीपीसीबी ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों, सीएंडडी साइटों, डीजी सेटों का गुप्त निरीक्षण करने के लिए सीएक्यूएम की सहायता के लिए 40 टीमों की प्रतिनियुक्ति की है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कार्यान्वयन स्थिति और वायु (पीएंडसीपी) अधिनियम , 1981 के अन्य उपबंधों के अनुपालन की जांच की जा सके। 08 नवंबर, 2024 तक, कुल 18976 इकाइयों/संस्थाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया है।

5. निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट :

- सीपीसीबी ने निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रकाशित किए (सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध)
  1. मार्च, 2017 में निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्टों का पर्यावरण प्रबंधन
  2. नवंबर 2017 में 'निर्माण सामग्री और सी एंड डी अपशिष्टों के प्रबंधन में धूल शमन उपायों पर दिशानिर्देश'।
  3. खुले में अपशिष्ट जलाने और लैंडफिल की आग से निपटने के लिए जैव-खनन और जैव-उपचार द्वारा पुराने अपशिष्ट का निपटान
- सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी/पीसीसी को 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली निर्माण परियोजनाओं/स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन की तैनाती और धूल नियंत्रण के पर्याप्त उपायों के कार्यान्वयन के निर्देश जारी किए हैं। सीपीसीबी ने निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन के उपयोग के लिए दिशानिर्देश/तंत्र जारी किए हैं।

6. अन्य :

- सीपीसीबी दिल्ली-एनसीआर शहरी स्थानीय निकायों को सड़कों के निर्माण/मरम्मत, एंटी-स्मॉग गन, मैकेनिकल रोड स्वीपर और एमएसडब्ल्यू संग्रह वाहनों की खरीद के लिए अंतराल वित्त पोषण सहायता प्रदान कर रहा है।
- सीपीसीबी ने एक मोबाइल ऐप, यानी समीर (SAMEER) विकसित किया है, जहाँ एक्यूआई सहित विभिन्न मापदंडों का वास्तविक समय परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा भी उपलब्ध है। समीर ऐप, एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतें दर्ज कराने में भी जनता की मदद करता है और ऐसी शिकायतें विभिन्न स्थानीय एजेंसियों को सौंपी जाती हैं।

****